आवेदन हेत् दिशा-निर्देश

अर्हता मापदंड

संकल्पना नोट/प्रस्तावों का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) आधारित अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने वाले एसटीआई समाधान प्राप्त करना होना चाहिए। चूँिक यह आहवान अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) पर केंद्रित है, अतः अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) आधारित अनुसंधान और उत्पाद विकास में पहले से संलग्न ** संगठन / संस्थान / पीआई केवल वितीय सहायता के पात्र हैं। हालांकि, इस दिशा में किसी भी अभिनव विचार को सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकता है।

- (क) सरकारी शैक्षणिक संस्थान (केंद्र और राज्य सरकार),
- (ख) सरकारी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी निकाय, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएँ आदि।
- (ग) निजी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय/कॉलेज/संस्थान और यूजीसी/एआईसीटीई/ एमसीआई/डीसीआई/ पीसीआई आदि द्वारा मान्यता प्राप्त या विनियमित सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज) को गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) माना जाएगा। वे ऑनलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एनजीओ/वीओ विकल्प का प्रयोग करेंगे।
- (घ) सोसायटी/ट्रस्ट आदि के रूप में पंजीकरण के बाद कम से कम तीन वर्ष के अस्तित्व के साथ कानूनी दर्जे वाले या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत या भारतीय न्यास अधिनियम 1982 या धर्मार्थ या धार्मिक अधिनियम 1920 के तहत या संबंधित राज्य अधिनियम के तहत ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एस एंड टी आधारित स्वैच्छिक संगठन (एनजीओ)। प्रौद्योगिकी विकास, प्रसार, वितरण और प्रबंधन में क्षेत्र-स्तरीय अनुभव। भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के सहयोग से एस एंड टी पर केंद्रित परियोजनाओं के संचालन का अन्भव।

केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा वर्ज्य सूची में रखा गया कोई भी संगठन आवेदन ना करे। इसके अलावा, निजी शैक्षणिक संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों से अनुरोध किया जाएगा कि वे डीएसटी ई-पीएमएस पोर्टल https://onlinedst.gov.in/ पर पूर्ण प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करते समय निम्नलिखित दस्तावेज जमा करें:

- वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र/ट्रस्ट डीड की प्रति
- संगम ज्ञापन,
- सोसायटी के नियम और उपनियम।
- खातों का लेखापरीक्षित विवरण
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों की वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट।
- एनजीओ दर्पण पोर्टल में संगठन की विशिष्ट आईडी

संविक्षित संकल्पना नोट्स डीएसटी द्वारा आगे के विचार के लिए पूर्ण प्रस्ताव के रूप में इलेक्ट्रॉनिक परियोजना प्रबंधन प्रणाली (ई-पीएमएस) www.onlinedst.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। किसी अन्य माध्यम से (हार्ड कॉपी या ई-मेल के माध्यम से) प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

चयन के लिए समीक्षा प्रक्रिया और मानदंड

ईमेल के माध्यम से और बाद में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किए गए संकल्पना नोट/प्रस्तावों का मूल्यांकन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (ईसी) द्वारा योग्यता और पात्रता शर्तों के अनुपालन के आधार पर किया जाएगा। सभी ईसी सदस्य डीएसटी के दिशानिर्देशों और हितों के टकराव संबंधी नीति से बंधे हुए हैं। पैनल प्रक्रियाओं या उत्पादों, अंतःविषय अनुसंधान और शिक्षा-उद्योग-सामाजिक अंतरसंबंद्ध में संभावित प्राप्य परिणामों का प्रदर्शन करने वाले प्रस्तावों की सिफारिश करेगा। ईसी की सिफारिशों को अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा। डीएसटी के पास किसी भी समय समीक्षा प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आवेदकों को प्रक्रिया में किसी भी प्रासंगिक संशोधन के बारे में सूचित किया जाएगा। प्राप्त संकल्पना नोट/प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के मानदंड इस प्रकार हैं: हालांकि, प्रत्येक मानदंड का भार लाभार्थियों के लिए प्रत्याशित उत्पाद/सेवा, परिणाम, प्रभाव और महत्व पर निर्भर करेगा।

- i. आह्वान और कार्यक्रम के जनादेश के साथ प्रस्ताव की प्रासंगिकता
- ii. प्रस्ताव के साथ उद्देश्यों की प्रासंगिकता
- iii. प्रस्तावित अंतःक्षेपों/अन्संधान की आवश्यकता
- iv. समस्या-आधारित अंतराल अभिज्ञान विश्लेषण
- v. मौजूदा विकल्पों की त्लना में स्धार की ग्ंजाइश
- vi. कार्यप्रणाली और अपेक्षित उत्पाद/सेवा और परिणाम
- vii. सहयोगियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट चित्रण
- viii. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में परियोजना दल/संस्थान की विश्वसनीयता, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिबद्धता

* ब्नियादी ढांचे के निर्माण के लिए ईओआई आमंत्रित किया जाता है

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) एक साझा समुदाय-आधारित प्रौद्योगिकी संसाधन केंद्र स्थापित कर रहा है, जो अधिमानतः अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) अवस्थितियों के लिए है, परंतु उन्हीं तक सीमित नहीं है। ये केंद्र स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए सुलभ होंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) की मूल्य श्रृंखला और न्यूनतम गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके।

अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए, डीएसटी के परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) कार्यक्रम के दिशानिर्देश लागू होंगे।

** प्रकाशित पत्रों, पेटेंट और विचार के लिए उत्पादों में बाजरा में पिछली भागीदारी परिलक्षित होनी चाहिए।

आवेदन का प्रारूप (3-4 पृष्ठों से अधिक नहीं)

| | पीआई का नाम: | |
|---|--|--|
| | संबंद्धता : | |
| | संस्था का नाम एवं पताः सहयोगी : | |
| | आवेदन का क्षेत्र: | कृपया उचित विकल्प पर सही का चिहन लगाएं |
| | | पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का अभिग्रहण अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना निर्माण |
| 6. अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज (मिलेट) अनुसंधान/उत्पाद सूत्रीकरण में पिछला कार्य | | |
| (पत्रों, पेटेंटों, उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और संकल्पना की सूची दें) | | |
| 7. | समस्या का विवरण: | |
| 8. ¹ | प्रस्तावित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अंतःक्षे | ч: |
| 9. | अपनाई जाने वाली कार्य पद्धति: | |
| 10. | उत्पाद/परिणाम के लिए समय-सीमा: | |
| 11. | प्रस्तावित बजट: | |
| 12. | परिणाम के हितधारक: | |